विदेशी मुद्रा जोखिम आरक्षित निधि (एफईआरआर) पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

संदर्भ - 10 अक्टूबर 2026 का ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 26 और 12 अक्टूबर 2026 का ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 27।

1. विदेशी मुद्रा जोखिम आरक्षित निधि (एफईआरआर) क्या है?

एफईआरआर वह आरक्षित निधि है जिसे प्राधिकृत व्यापारियों को निम्नलिखित संविदाओं के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बनाए रखना होता है:

(क) उपयोगकर्ताओं के साथ प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा की गई भारतीय रुपये से संबंधित विनिर्दिष्ट विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदाएँ, जैसा कि नीचे प्रश्न 2 में स्पष्ट किया गया है; और

(ख) भारतीय रुपये से संबंधित ऐसी विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदाएँ, जो किसी प्राधिकृत व्यापारी ने अपनी आस्तियों और देयताओं के मुद्रा जोखिम से बचाव के लिए की हों और जिनमें वह भारतीय रुपये के बदले विदेशी मुद्रा खरीद रहा हो।

2. दिनांक 10 अक्टूबर 2026 के ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 26 के अनुसार, प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा उपयोगकर्ताओं[1] के साथ की गई किन विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदाओं पर एफईआरआर की अपेक्षा लागू होती है?

एफईआरआर की अपेक्षा प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा उपयोगकर्ताओं के साथ की गई उन विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदाओं पर लागू होती है जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करती हैं:

- संविदा भारतीय रुपये से संबंधित है।
- संविदा किसी उपयोगकर्ता के साथ की गई है।
- उपयोगकर्ता भारतीय रुपये के बदले विदेशी मुद्रा खरीद रहा है।
- संविदा का कल्पित मूल्य दो मिलियन अमेरिकी डॉलर के समतुल्य से अधिक है।
- संविदा चालू खाता लेनदेन से जुड़े जोखिम की बचाव-व्यवस्था के लिए की गई है।

[1] समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 5 जुलाई 2016 के जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक लेनदेन संबंधी मास्टर निदेश के भाग क के खंड 1 के पैराग्राफ 1(1) के अनुसार, 'उपयोगकर्ता' से अभिप्राय विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 2(u) में यथापरिभाषित ऐसे किसी व्यक्ति से है जो भारत में या भारत के बाहर निवासी हो और प्राधिकृत व्यापारी न हो।

3. क्या दिनांक 12 अक्टूबर 2026 के ए.पी. (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं. 27 के अनुसार, प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा बाज़ार निर्माण और/या अपने खाते के लिए पोज़िशन लेने हेतु किए गए लेनदेन पर एफईआरआर लागू होगी?

नहीं। उक्त परिपत्र के अनुसार, एफईआरआर केवल उन विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदाओं पर लागू होगी जो प्राधिकृत व्यापारियों ने अपनी आस्तियों और देयताओं के मुद्रा जोखिम से बचाव के लिए की हों और जिनमें वे भारतीय रुपये के बदले विदेशी मुद्रा खरीद रहे हों।

4. क्या एफईआरआर की अपेक्षा उन व्युत्पन्नी संविदाओं पर लागू होती है जिनमें उपयोगकर्ता भारतीय रुपये के बदले विदेशी मुद्रा बेचते हैं?

नहीं। एफईआरआर की अपेक्षा केवल उन व्युत्पन्नी संविदाओं पर लागू होती है जिनमें उपयोगकर्ता भारतीय रुपये के बदले विदेशी मुद्रा खरीदता है।

5. क्या एफईआरआर की अपेक्षा पूंजी खाता लेनदेन से जुड़े जोखिम की बचाव-व्यवस्था के लिए उपयोगकर्ताओं द्वारा की गई विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदाओं पर लागू होती है?

नहीं। एफईआरआर की अपेक्षा केवल उन विनिर्दिष्ट विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदाओं पर लागू होती है जो उपयोगकर्ताओं ने चालू खाता लेनदेन से जुड़े जोखिम की बचाव-व्यवस्था के लिए की हों।

6. क्या एफईआरआर उन व्युत्पन्नी संविदाओं पर लागू होगी जो उपयोगकर्ताओं ने किसी पूंजी खाता लेनदेन से उत्पन्न चालू खाते के बहिर्गमन के जोखिम से बचाव के लिए की हों, जैसे बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) पर ब्याज, अनिवासियों द्वारा धारित निवासी संस्थाओं के ऋण लिखतों पर कूपन भुगतान या अनिवासी निवेशकों को देय लाभांश?

नहीं। ऋणों और अन्य ऋण लिखतों पर ब्याज जैसे देय भुगतान विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 2(j) के अंतर्गत चालू खाता लेनदेन हैं। तथापि, ऐसे भुगतान किसी अंतर्निहित पूंजी खाता लेनदेन से उत्पन्न होते हैं। तदनुसार, ऐसे भुगतानों से जुड़े जोखिम की बचाव-व्यवस्था के लिए उपयोगकर्ताओं द्वारा की गई विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदाएँ दिनांक 10 अक्टूबर 2026 के ए.पी. (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं. 26 के तहत एफईआरआर की अपेक्षा से बाहर होंगी। तथापि, ऐसे एक्सपोज़र पर अपने मुद्रा जोखिम से बचाव के लिए प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा किए गए लेनदेन पर दिनांक 12 अक्टूबर 2026 के ए.पी. (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं. 27 के अनुसार एफईआरआर लागू होगी।

7. क्या एफईआरआर की अपेक्षा ऐसी विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदाओं पर लागू होती है जिनमें भारतीय रुपया शामिल नहीं है?

नहीं। एफईआरआर की अपेक्षा केवल भारतीय रुपये से संबंधित विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदाओं पर लागू होती है।

8. प्राधिकृत व्यापारी द्वारा उपयोगकर्ताओं के साथ की गई विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदाओं पर एफईआरआर लागू होने की सीमा क्या है?

एफईआरआर की अपेक्षा प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा उपयोगकर्ताओं के साथ की गई उन विनिर्दिष्ट व्युत्पन्नी संविदाओं पर लागू होती है जिनका कल्पित मूल्य दो मिलियन अमेरिकी डॉलर के समतुल्य से अधिक है। तदनुसार, किसी प्राधिकृत व्यापारी द्वारा किसी उपयोगकर्ता के साथ की गई ऐसी व्युत्पन्नी संविदा पर यह अपेक्षा लागू नहीं होगी जिसका कल्पित मूल्य दो मिलियन अमेरिकी डॉलर के समतुल्य या उससे कम है। तथापि, प्राधिकृत व्यापारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इन प्रावधानों से बचने के लिए व्युत्पन्नी लेनदेन की संरचना करने के किसी भी प्रयास को रोका जाए।

9. यदि उपयोगकर्ता कोई विकल्प संविदा या विकल्प संविदाओं का संयोजन करता है, तो एफईआरआर लागू होने की सीमा निर्धारित करने के लिए कौन-सी कल्पित राशि ली जाएगी?

यह निर्धारित करने के लिए कि एफईआरआर लागू होगी या नहीं, उपयोगकर्ता के साथ की गई विकल्प संविदा की कल्पित राशि को आधार बनाया जाएगा।

जहाँ दो या अधिक विकल्पों को एक ही संरचना में साथ लिया जाता है, वहाँ पूरी संरचना को एक व्युत्पन्नी संविदा माना जाएगा। दो मिलियन अमेरिकी डॉलर की सीमा लागू करने और एफईआरआर की गणना करने के लिए उस एक विकल्प की कल्पित राशि ली जाएगी जिसका कल्पित मूल्य सबसे अधिक है।

10. बनाए रखी जाने वाली एफईआरआर की राशि की गणना कैसे की जाती है?

एफईआरआर प्रत्येक लागू व्युत्पन्नी संविदा की कल्पित राशि के भारतीय रुपये में समतुल्य का 20 प्रतिशत होगी। उदाहरण के लिए, यदि भारतीय रुपये के बदले 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कल्पित राशि वाली व्युत्पन्नी संविदा ₹95 प्रति अमेरिकी डॉलर की संविदागत दर पर की जाती है, तो उसकी कल्पित राशि ₹95 करोड़ होगी। इस पर लागू एफईआरआर ₹19 करोड़ होगी।

11. एफईआरआर रिज़र्व बैंक के पास कहाँ और कैसे बनाए रखी जाएगी?

एफईआरआर रिज़र्व बैंक के पास प्राधिकृत व्यापारी के चालू खाते में जमा की जाएगी और दैनिक आधार पर बनाए रखी जाएगी। किसी व्युत्पन्नी संविदा के लिए एफईआरआर संविदा किए जाने की तारीख के ठीक बाद वाले कार्यदिवस से सकल आधार पर, अर्थात प्रत्येक पात्र व्युत्पन्नी लेनदेन के लिए अलग से, बनाए रखी जाएगी। प्राधिकृत व्यापारी पात्र लेनदेन और उनसे संबंधित एफईआरआर का ब्यौरेवार अभिलेख रखेगा। इन अभिलेखों की लेखापरीक्षा की जाएगी।

12. चूँकि एफईआरआर भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बैंक के चालू खाते में रखी जाती है, क्या उसे उसी खाते में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के तहत बैंक की आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) संबंधी बाध्यता के लिए रखी गई आरक्षित नकदी निधि में गिना जा सकता है?

भारतीय रिज़र्व बैंक के पास चालू खाते में रखा जाने वाला दैनिक न्यूनतम शेष निम्नलिखित के योग से कम नहीं होगा:

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के तहत बाध्यता;
(ii) 10 अक्टूबर और 12 अक्टूबर 2026 के निदेशों के तहत निर्धारित एफईआरआर; और
(iii) कोई अन्य बाध्यता जिसके लिए रिज़र्व बैंक के पास आरक्षित नकदी निधि बनाए रखना आवश्यक है।

13. क्या रिज़र्व बैंक के पास रखी गई एफईआरआर पर ब्याज मिलेगा?

नहीं। प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा रिज़र्व बैंक के पास रखी गई एफईआरआर पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।

14. प्राधिकृत व्यापारी को एफईआरआर कितने समय तक बनाए रखनी होगी?

किसी व्युत्पन्नी संविदा पर लागू एफईआरआर उस संविदा की समाप्ति के अगले दिन तक बनाए रखनी होगी।

15. यदि कोई व्युत्पन्नी संविदा आंशिक रूप से निरस्त की जाती है और उसकी शेष कल्पित राशि पर एफईआरआर अब भी लागू होती है, तो एफईआरआर कैसे बनाए रखी जाएगी?

व्युत्पन्नी संविदा के आंशिक निरस्तीकरण के बाद, अगले दिन से संविदा की शेष कल्पित राशि पर आनुपातिक आधार पर एफईआरआर बनाए रखी जाएगी।

16. यदि उपयोगकर्ता द्वारा किसी व्युत्पन्नी संविदा के आंशिक निरस्तीकरण के बाद उसकी कल्पित राशि दो मिलियन अमेरिकी डॉलर की सीमा से नीचे आ जाती है, तो क्या एफईआरआर बनाए रखनी होगी?

यदि आंशिक निरस्तीकरण के बाद व्युत्पन्नी संविदा के प्रभावी बने हुए हिस्से की कल्पित राशि लागू सीमा से नीचे आ जाती है, तो ऐसी संविदा के लिए एफईआरआर बनाए रखने की अपेक्षा उक्त कमी के अगले दिन से समाप्त हो जाएगी।

17. क्या एफईआरआर की अपेक्षा निदेश जारी होने से पहले की गई व्युत्पन्नी संविदाओं पर लागू होती है?

नहीं। एफईआरआर की अपेक्षा केवल उन विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदाओं पर लागू होती है जो 10 अक्टूबर 2026 और 12 अक्टूबर 2026 को संबंधित निदेश जारी होने के बाद की गई हों।

18. भारतीय रुपये से संबंधित एक विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा निदेश जारी होने से पहले की गई थी और उस पर एफईआरआर लागू नहीं थी। यदि 10 अक्टूबर और 12 अक्टूबर के संबंधित निदेश जारी होने के बाद उस संविदा का विस्तार (रोलओवर) किया जाता है, तो क्या विस्तारित लेनदेन पर एफईआरआर लागू होगी?

हाँ। 10 अक्टूबर 2026 और 12 अक्टूबर 2026 के संबंधित निदेश जारी होने के बाद विस्तारित व्युत्पन्नी संविदा पर एफईआरआर लागू होगी, यदि विस्तार के बाद संविदा एफईआरआर लागू होने की निर्धारित शर्तें पूरी करती है। विस्तार के फलस्वरूप बनी संविदा मूलतः एक नई संविदा होती है।

19. प्राधिकृत व्यापारियों के लिए रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाएँ क्या हैं?

प्राधिकृत व्यापारियों को बनाए रखी गई एफईआरआर का विवरण रिज़र्व बैंक की केंद्रीकृत सूचना प्रबंध प्रणाली (सीआईएमएस) के माध्यम से दैनिक आधार पर रिपोर्ट करना होगा। यह विवरण उपयोगकर्ताओं के साथ की गई व्युत्पन्नी संविदाओं और अपने मुद्रा जोखिम से बचाव के लिए प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा की गई व्युत्पन्नी संविदाओं, दोनों के लिए देना होगा। रिपोर्टिंग का प्रारूप सीआईएमएस में उपलब्ध है।

20. रिज़र्व बैंक को एफईआरआर की रिपोर्ट किस समय तक देनी होगी?

प्राधिकृत व्यापारी एफईआरआर का विवरण सीआईएमएस के माध्यम से दैनिक आधार पर रिपोर्ट करेंगे। किसी दिन (T) की रिपोर्ट अगले कार्यदिवस (T+1) को शाम 5 बजे तक प्रस्तुत करनी होगी। रिपोर्ट में T तारीख को की गई व्युत्पन्नी संविदाओं का विवरण तथा उन सभी बकाया व्युत्पन्नी संविदाओं का विवरण

शामिल होगा जिनके लिए एफईआरआर बनाए रखी गई है। प्रत्येक ऐसी बकाया संविदा की रिपोर्टिंग की तारीख को विद्यमान कल्पित राशि भी दर्शाई जाएगी।

21. क्या भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखे गए एफईआरआर शेष को चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) के ढाँचे के अंतर्गत उच्च गुणवत्ता वाली चल आस्तियों (एचक्यूएलए) के भंडार में शामिल किया जा सकता है?

नहीं। भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बनाए रखे जाने वाले एफईआरआर शेष को एचक्यूएलए के रूप में नहीं गिना जा सकता।

22. क्या एफईआरआर की अपेक्षा प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ की गई विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदाओं पर लागू होगी?

नहीं। प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ की गई भारतीय रुपये से संबंधित विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदाओं पर एफईआरआर की अपेक्षा लागू नहीं होगी।